

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज.जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से0नि0 जोन जयपुर/एफ.00783/2023/1095

दिनांक : 08/11/23

आदेश

श्री मनोहर शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 20.07.1967 है, को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 01.12.2023 से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। दिनांक 01.12.2023 को इनका अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/से0नि0 जोन जयपुर/एफ.00783/2023/1095

दिनांक : 08/11/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेर, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री मनोहर शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारीको द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
4997881

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation : Director
Date : 07-11-2023 09:22:06